न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:– 11/2019

वादी:– कानाराम पुत्र श्री अमलूराम, जाति जाट, निवासी जाटों की ढ़ाणी हरलाया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी:– श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

वादी की ओर से – अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी।
प्रतिवादी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–::निर्णय::–

दिनांक:– 9/12/2020

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– वादी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 202/1 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी प्रथम मौजा ग्राम करणीनगर पटवार क्षेत्र भीमसागर एवं खसरा नम्बर 398/202 रकबा 04 बीघा ग्राम हरलाई, पटवार क्षेत्र भीमसागर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के सह खातेदार के साथ वादी का नाम दर्ज करते वक्त कानाराम पुत्र जऊँताराम दर्ज कर दिया गया। लेकिन वादी के पिता का वास्तविक नाम अमलूराम है। वादी के राजस्व रेकर्ड में ग्राम मौजा हरलाई के खसरा नम्बर 218 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 219 रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 237/425 रकबा 10 बिस्वा भूमि में वादी के पिता का नाम अमलूराम दर्ज है। परन्तु वादी द्वारा खसरा नम्बर 202/1 तथा 398/202 की भूमि खरीदते वक्त सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश वादी के पिता का नाम अमलूराम के स्थान पर जऊँताराम दर्ज कर दिया। जबकि वादी के पिता का नाम अमलूराम पुत्र श्री मदूराम जाति जाट निवासी हरलाया है। वादी के तमाम दस्तावेज राशन, कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि कानाराम पुत्र श्री अमलूराम के नाम से बने हुए है तथा अन्य खसरा की भूमि में कानाराम पुत्र श्री अमलूराम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र डीड राइटर की लिपिकीय त्रुटि के कारण हुई जो सद्भाविक भूल के कारण हुई है। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर वादी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से वादी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके पड़े है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि वादी

Scanned with CamScanner

का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 202/1 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी प्रथम मौजा ग्राम करणीनगर पटवार क्षेत्र भीमसागर एवं खसरा नम्बर 398/202 रकबा 04 बीघा ग्राम हरलाई, पटवार क्षेत्र भीमसागर तहसील ओसियां में वादी के पिता का नाम जऊँताराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर वादी के पिता का वास्तविक नाम अमलूराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

वादी उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम जऊँताराम के स्थान पर अमलूराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि वादी के पिता का सही नाम अमलूराम है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 202/1 रकबा 26 बीघा ग्राम करणीनगर पटवार क्षेत्र भीमसागर व खसरा नम्बर 398/202 रकबा 4 बीघा ग्राम हरलाई पटवार क्षेत्र भीमसागर तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम जऊँताराम के स्थान पर अमलूराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 9/12/2022 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner